# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 06/2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025/7

1. मघाराम पुत्र
2. लिछमा पुत्री
3. सन्जू पत्नी प्रभूराम
4. संतोष पुत्री

पिसरान श्री महावीर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 10 एच एम एच अमरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

5. हिमांशु सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह जाति राजपूत निवासी कैलाशपुरी तहसील व जिला बीकानेर।
6. सिंह खान पुत्र श्री लसकर खां जाति मुंसलमान निवासी चक 1 आर जे डी तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

——अपीलांट्स

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा, राणेर मय दामोलाई तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

—रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया — अभिभाषक अपीलांट्स
मोहम्मद इम्तियाज अली — राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 22.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ के आदेश दिनांक 01.05.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील मीमों के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– अपीलांट सं. 1 ता 4 के पिता स्व. प्रभूराम पुत्र रणजीता को ग्राम घेघड़ा तहसील छतरगढ़ के खसरा नंबर 251 की 50 बीघा बारानी भूमि आवंटित थी। आवंटी प्रभूराम की मृत्यु उपरांत उक्त वादगत भूमि का विरासतन इंतकाल सं. 369 दिनांक 16.01.2023 अपीलांट सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज हो गया। तत्पश्चात् अपीलांट सं. 5 व 6 द्वारा उक्त वादगत भूमि में से रजिस्टर्ड बैयनामा से भूमि क्रय करने पर इंतकाल सं. क्रमशः 377 दिनांक 05.05.2023 व 378 दिनांक 05.05.2023 स्वीकृत हो गये। उक्त इंतकालों के विरूद्ध तहसीलदार (राजस्व) छतरगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित कर अपील स्वीकार करते हुए उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन इंतकालों को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट सं. 1 ता 4 के पिता स्व. प्रभूराम पुत्र रणजीता जाति राईका को छतरगढ़ तहसील के ग्राम घेघड़ा के खसरा नंबर 251 में 50 बीघा बारानी भूमि टी.सी. आवंटित थी, जिसको पुख्ता आवंटन करवाने बाबत स्व. प्रभूराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आवंटन सलाहाकार समिति ने दिनांक 14.03.2025 को उक्त टी.सी. आवंटन की भूमि पुख्ता आवंटित कर दी, जिसकी पालना में तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता का नाम दर्ज होकर खातेदारी प्रदान कर दी। उक्त खातेदारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवंटी प्रभूराम की मृत्यु के बाद अपीलांट सं. 1 ता 4 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज हो गया। अपीलांट सं. 5 ने उक्त वादगत भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि क्रय की, जिसका इंतकाल सं. 377 दिनांक 05.05.2025 बट्टा नंबर देकर ख.नं. 433/379 की 6.3225 हैक्ट. भूमि दर्ज की गई। अपीलांट सं. 6 ने उक्त वादगत भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि क्रय की, जिसका इंतकाल सं. 378 दिनांक 05.05.2025 बट्टा नंबर देकर ख.नं. 434/379 की 6.3225 हैक्ट. भूमि दर्ज की गई। उक्त भूमि समस्त राजस्व रिकार्ड में अपीलांट्स के नाम दर्ज चली आ रही थी। इंतकाल सं. 386 दिनांक 06.09.2023 को रहन का दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में कुल पांच आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील पेश की, जो तहसीलदार स्वयं द्वारा तस्दीकशुदा इंतकाल की मियाद बाहर अपील थी। अपीलांट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वकालतनामा पेश किया गया और आगे पेशी दिनांक 15.04.2024 को प्राथमिक आपति का प्रा. पत्र पेश किया, जिस पर पेरोकारराज द्वारा जवाब प्रा. पत्र पेश किया। दिनांक 11.05.2024 को प्राथमिक आपति पर बहस सुनी गई और निर्णय प्राथमिक आपति पर ही होना था क्योंकि गुणावगुण पर बहस हुई नहीं थी किन्तु जैर अपील आदेश के द्वारा अपील ही स्वीकार कर ली गई। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त कार्यवाही एकतरफा तौर पर न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर की गई। कानूनन अलग—अलग आदेशों की अलग—अलग अपील होती है। इस तथ्य पर गौर नही किया तथा मूल आदेश की अपील नही की गई। इंतकाल की कार्यवाही एक समरी प्रोसिडींग है, जिससे अधिकार तय नहीं होते है। वादगत भूमि अपीलांट सं. 1 ता 4 के पिता को आवंटित होकर खातेदारी भूमि थी। अपीलाधीन आदेश मौका जांच किये बिना तथा माइण्ड अप्लाई किये बिना पारित है, जो कानून विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के आवंटन का ना तो कब्जा लिया गया और न ही इस आवंटन का कब्जा देने बाबत किसी भी राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन किया गया। आवंटन आदेश को कोई विधि परीक्षण कराए बिना मृत्त व्यक्ति के नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि की गई है, जो कि आरंभ से ही शून्य व विधि विरूद्ध है। जहां तथाकथित आवंटन आदेश शून्य होता है तो ऐसे आवंटन के आधार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर दर्ज नामान्तरण स्वतः ही शून्य हो जाने के कारण सियाद अधिनियम ऐसे आवंटन आदेशों व इनके अनुसरण में स्वीकृत नामांतरणों को निरस्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता। ऐसे नामान्तरणों को कानूनन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 पारित करते हुए अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 325 दिनांक 30.05.2019, सरपंच ग्राम पंचायत 1 केएम द्वारा पारित विरासतन नामान्तरण सं. 369 दिनांक 26.01.2023 व बैयनामा नामान्तरण संख्या 377 व 378 दिनांक 05.05.2023 तथा तहसीलदार द्वारा पारित रहन नामांतरण सं. 386 दिनांक 06.09.2023 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स को गुणावगुण पर सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पर बहस की गई थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गुणावगुण निर्णय पारित कर दिया, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन आदेश दिनांक 01.05.2024 निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर